

7-2-2020

प्रार्थी व वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल दावा संख्या 33/2015 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 जाब्ता दिवानी के तहत वाद पत्र अदम हाजरी/ अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः मूल दावा निर्णित हो जाने के फलस्वरूप यह पत्रावली निष्फल (Infructuous) हो चुकी है। पत्रावली पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर की जावे। बसरे इजलास सुनाया गया।



(रमेश देव)

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

